



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1213]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 6, 2014/ज्येष्ठ 16, 1936

No. 1213]

NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 6, 2014/ JYAISTHA 16, 1936

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जून, 2014

का.आ.1459(अ).—केन्द्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 1 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तारीख 6 जून, 2014 को ऐसी तारीख के रूप में नियत करती है जिसको उक्त अधिनियम की धारा 74 की उप-धारा (2) और उप-धारा (3) के उपबंध प्रवृत्त होंगे।

[फा. सं. 1/8/2013 सीएल-V]

अमरदीप सिंह भाटिया, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th June, 2014

S.O. 1459(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 1 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby appoints the 6th day of June, 2014 as the date on which the provisions of sub-sections (2) and (3) of Section 74 of the said Act shall come into force.

[F. No. 1/8/2013-CL-V]

AMARDEEP SINGH BHATIA, Jt. Secy.